न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ (चूरू)
(बइजलास पंकज गढ़वाल आर०ए०एस०)

निर्णय दिनांक 5-11-2020

वाद संख्या 201 सन् 2020

1. मानसिंह
2. रोहताश कुमार
3. उम्मेद सिंह पूनियां
4. रामनिवास पूनियां

पुत्रगण राजेराम जाति जाट निवासीगण मांगला तहसील राजगढ़ जिला चूरू

— वादीगण

बनाम

1. राजेराम पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी मांगला तहसील राजगढ़ जिला चूरू
2. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा बस स्टेण्ड राजगढ़ जिला चूरू

— प्रतिवादीगण

3. इन्द्रावती
4. कमला
5. तारावती
6. ओमी

पुत्रियां राजेराम जाति जाट निवासीगण मांगला तहसील राजगढ़ जिला चूरू

— गौण प्रतिवादीगण

उपस्थिति :—

1. श्री प्रेमसिंह बीका अधिवक्ता — वास्ते वादीगण
2. श्री सुभाश चन्द अधिवक्ता — वास्ते प्रतिवादी सं. 1

उपखण्ड अधिकारी
राजगढ़ (चूरू)

3. श्री देबूसिंह राठौड़ अधिवक्ता – वास्ते गोण प्रतिवादीगण सं. 3 ता 6
4. प्रतिवादी सं. 2 स्वंय उपस्थित।

वाद अंतर्गत धारा 88 आर0टी0 एक्ट।

–: निर्णय :–

वादीगण द्वारा घोषणात्मक वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0 एक्ट निम्न आधार पर प्रस्तुत कर निवेदन किया कि – कृषि भूमि हाल खाता सं. 234 हाल खसरा नं0 118 तादादी 2.45 हैक्टेयर, ख0नं0 137 तादादी 4.40 हैक्टेयर, ख0नं0 159 तादादी 5.12 हैक्टेयर, ख0नं0 195 तादादी 8.24 हैक्टेयर, ख0नं0 449 तादादी 0.48 हैक्टेयर, ख0नं0 478 तादादी 2.53 हैक्टेयर, ख0नं0 52 तादादी 4.36 हैक्टेयर कुल खसरा 7 कुल तादादी 27.58 हैक्टेयर वाके रोही मांगला तहसील राजगढ़ जिला चूरू में स्थित हैं। यही विवादित कृषि भूमि हैं। उपरोक्त दर्ज कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1 राजेराम के खातेदारी में दर्ज हैं लेकिन उक्त विवादित कृषि भूमि में वादीगण व गौण प्रतिवादीगण, प्रतिवादी सं. 1 के साथ बहिस्सा बराबर 1/9 – 1/9 हिस्सा पर काबिज होकर काश्त व उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं तथा वर्तमान में वादीगण नें अपने हक हिस्सा 4/9 हिस्सा में फसल काश्त कर रखी हैं। उक्त विवादित कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1 के खातेदारी में दर्ज चली आ रही हैं लेकिन वादीगण व गौण प्रतिवादीगण, प्रतिवादी सं. 1 सहित उक्त विवादित कृषि भूमि पर ब हिस्सा बराबर काबिज होकर काश्त व उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं। इसलिए वादीगण उक्त विवादित कृषि भूमि में प्रतिवादी सं. 1 के साथ अपना बहिस्सा बराबर 4/9 हिस्सा घोषित करवानें के अधिकारी हैं जिस हेतु यह वाद घोषणात्मक खातेदारी का पेश किया जा रहा हैं। उक्त विवादित कृषि भूमि वादीगण व गौण प्रतिवादीगण तथा प्रतिवादी सं. 1 की पैतृक मौरूसी जायदाद है जो वादीगण के

उपखण्ड अधिकारी
राजगढ़ (चूरू)

पड़दादा नेता के खातेदारी काश्त की रही है जिनकी मृत्यु के बाद उक्त विवादित कृषि भूमि नेता के वारिसान रामलाल व हरिराम के दर्ज हुई जिसमें वादीगण के दादा रामलाल बहिस्सा बराबर 1/2 हिस्सा के जरिए विरास्तन इंतकाल दर्ज होकर अपने हक हिस्सा पर काबिज होकर काश्त व उपयोग उपभोग करते आये जिनकी मृत्यु के बाद रामलाल के हक हिस्सा की कृषि भूमि जरिए विरास्तन इंतकान रामलाल के जायज वारिसान वादीगण के पिता प्रतिवादी सं. 1 राजेराम व नन्दलाल के बहिस्सा बराबर दर्ज हुई। कालांतर में प्रतिवादी सं. 1 नें अपने हक हिस्सा की कृषि भूमि का खाता विभाजन करवाकर रकम लगान अलग से कायम करवा लिया जिसके बाद उक्त विवादित कृषि भूमि हाल खाता सं. 234 कुल तादादी 27.58 हैक्टेयर वाके रोही मांगला तहसील राजगढ़ जिला चूरू प्रतिवादी सं. 1 के खातेदारी में राजस्व रिकार्ड मे दर्ज चली आ रही हैं लेकिन उक्त विवादित कृषि भूमि वादीगण की पैतृक मौरूसी जायदाद होने के कारण वादीगण व गोण प्रतिवादीगण, प्रतिवादी सं. 1 सहित उक्त विवादित कृषि भूमि पर बहिस्सा बराबर काबिज होकर काश्त व उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं। विवादित कृषि भूमि वादीगण व गौण प्रतिवादीगण की दादालाई सम्पति है जो वादीगण व गौण प्रतिवादीगण को व प्रतिवादी सं. 1 को उनके दादा व पिता रामलाल से प्राप्त हुई है तथा वादीगण, गौण प्रतिवादीगण व प्रतिवादी सं. 1 हिन्दू खानदान के सदस्य है जो हिन्दू धर्म को मानने वाले है तथा हिन्दू विधि की मिताक्षरा विधि से शासित है। इस कारण उक्त विवादित कृषि भूमि में वादीगण व गौण प्रतिवादीगण का जन्म से ही हक व हिस्सा रहा है जिस कारण वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 तथा गौण प्रतिवादीगण उक्त विवादित कृषि में ब0हि0ब0 1/9 – 1/9 हिस्सा के हकदार व खातेदार है और इसी अनुसार अपनें हक हिस्सा पर काबिज होकर उक्त कृषि भूमि को काश्त करते आ रहे है जिन्होनें वर्तमान में उक्त विवादित कृषि भूमि में अपने हक हिस्सा में फसल भी काश्त कर रखी है। प्रतिवादी सं. 1 व वादीगण नें अपनें

उपखण्ड अधिकारी
राजगढ़ (चूरू)

संयुक्त खर्चे से गोण प्रतिवादीगण की की शादी की हैं तथा गोण प्रतिवादीगण के भात छुच्छक व अन्य रस्में निभा दी हैं जिस कारण गौण प्रतिवादीगण नें उक्त कृषि भूमि में स्थित अपने हिस्सा 4/9 हिस्सा का बिना प्रतिफल के वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 के हक में मौखिक रूप से आज से करीब 20 साल पहले हक तयाग कर दिया हैं जिसके बाद से उक्त विवादित कृषि भूमि में गोण प्रतिवादीगण का कोई हक हिस्सा नही रहा हैं जिसके बाद से उक्त विवादित कृषि भूमि में वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 बहिस्सा बराबर 1/5 – 1/5 हिस्सा पर काबिज होकर काश्त व उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं। जिस कारण वादीगण उक्त विवादित कृषि भूमि में अपनें हिस्सा 1/5 – 1/5 हिस्सा कुल 4/5 हिस्सा को अपनें हक में घोषित करानें के अधिकारी है। जिस हेतु वादीगण द्वारा यह वाद घोषणात्मक पेश किया जा रहा है। वादीगण ने प्रतिवादी सं. 1 को काफी कहा व कहलवाया कि वह विवादित कृषि भूमि में वादीगण का हक हिस्सा 1/5 – 1/5 कुल 4/5 हिस्सा उपरोक्तानुसार घोषित मानकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करवा देवें मगर प्रतिवादी सं. 1 नें दिनांक 29.08.2020 को ऐसा मानने व करवाने से बमुकाम मांगला तहसील राजगढ़ जिला चूरू में स्पष्ट इन्कार कर दिया। जिस कारण वादीगण को इसी दिन से वाद कारण हासिल है तथा वादाधार वादीगण को उक्त विवादित कृषि भूमि दादालाई सम्पति होनें के कारण तथा उक्त विवांदित कृषि भूमि में वादीगण को प्रतिवादी सं. 1 के पुत्र होनें से हासिल है। प्रतिवादी सं. 1 नें उक्त विवादित कृषि भूमि को बैंक के रहन रखा हुआ हैं जिस कारण बैंक को पक्षकार वाद प्रतिवादी संयोजित किया गया हैं। विवादित कृषि भूमि में गौण प्रतिवादीगण का भी हित निहित हैं जिनको पक्षकार वाद वादीगण बननें का कहा तो उन्होने इसमें अपनी असमर्थतता जताई जिस कारण कानूनी उज्र हटानें के लिए इन्हे पक्षकार वाद गौण प्रतिवादीगण बनाया गया हैं। पक्षकारान वाद व विवादित कृषि भूमियां अदालतवाला के अधिक्षेत्र में स्थित होने से अदालतवाला को वाद का हर प्रकार

उपखण्ड अधिकारी
राजगढ़ (चूरू)

से श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार हासिल है। वाद निर्धारित न्यायालय शुल्क 2/– रूपये पर हर प्रकार से अन्दर अवधि पेश है। आदि आदि।

अंत में निवेदन किया कि वाद वादीगण के हक में स्वीकार किया जाकर विवादित कृषि भूमि में वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 को बहिस्सा बराबर 1/5 – 1/5 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड मं अमल दरामद किया जावे।

वाद प्रस्तुत होनें पर वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को सशुल्क तलब कियां गया। बाद तामील प्रतिवादी सं. 1 व गौण प्रतिवादीगण नें जरिये अधिवक्ता हाजिर होकर इकबाल दावा पेश कर निवेदन किया कि वाद वादीगण चाहे गये अनुतोषो के अनुसार स्वीकार किया जाता है तो प्रतिवादी सं. 1 व गोण प्रतिवादीगण सं. 3 ता 6 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी सं.0 2 नें स्वंय उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि उक्त विवादित कृषि भूमि बैंक के पक्ष में राको अधिनियम 1974 की धारा 6(1) के तहत पंजीकृत रहन करवाकर रहन रखा हुआ हैं, इसलिए बैंक का हित देखते हुए वाद की सुनवाई कर निर्णय किया जावे।

वादीगण द्वारा अपनें वाद के समर्थन में दस्तावेजात जरिए नेट छाया प्रति जमाबंदी सम्वत् 2075 – 2078 खाता सं. 234 रोही मांगला, प्रमाणित प्रति इंतकाल सं. 103, प्रमाणित प्रति इंतकाल सं. 104 पेश किये गये। जिनका अवलोकन किया गया।

वादीगण नें अपनें वाद के समर्थन में प्रमाणित दस्तावेजात पेश किए है तथा प्रतिवादी सं. 1 व गोण प्रतिवादीगण की ओर से इकबाल दावा पेश कर वाद वादीगण के हक में स्वीकार किये जाने बाबत कोई आपति दर्ज नही की गई है। प्रतिवादी सं. 2 स्वंय उपस्थित होकर अपना हित सुरक्षित रखनें का निवेदन किया हैं।

उपखण्ड अधिकारी
राजगढ़ (चूरू)